

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 12/19

सतवीर पुत्र बसन्तलाल जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

-प्रार्थी

- बनाम -

1. रामकुमार पुत्र सुरजा
 2. धारासिंह पुत्र सुरजा
 3. गोरधन पुत्र श्योराम
 4. बनवारी पुत्र श्योराम
 5. बूटीराम पुत्र श्योराम
 6. सुभाष चन्द्र पुत्र श्योराम
 7. सुप्यार पुत्री श्योराम
 8. गिरधारी पुत्र तेजा
- जाति समस्त बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
9. तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी
अंधारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0

वकील प्रार्थी : शिवकुमार बंका
वकील अप्रार्थी : एक पक्षीय

निर्णय

निर्णय दिनांक 05-03-2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजरव ग्राम बुगाला की तन में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1365/521 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 1366/521 रकबा 0.05 हैक्टर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के दक्षिण दिशा में अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 516 रकबा 2.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 516 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.40 हैक्टर स्थित है, उक्त खातेदारों की भूमि की सीमा पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि स्थित है।

प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 521 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1365/521 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1366/521 रकबा 0.05 हैक्टर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर पर काबिज है तथा प्रार्थी की भूमि के पाड़ौस में अनावेदकगण की भूमि की सीमा स्थित है, जो आये दिन क्षति पहुंचाते हैं, सीमा को काटते हैं, सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते हैं। जिससे मौके पर शांति भंग होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी अकेला है कानून में विश्वास रखता है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या में ज्यादा है जो प्रार्थी की भूमि नाजायज तरीके से हड़पना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1365/521 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1366/521 रकबा 0.05 हैक्टर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की पत्थरगड़डी करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1365/521 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1366/521 रकबा 0.05 हैक्टर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर के कब्जे के अनुसार सीमाज्ञान करवा चुका है सीमाज्ञान की सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 521 रकबा


ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ




2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1365/521 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1366/521 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेशा प्रदान करे। ताकि भविष्य में कोई विवाद नही हो। मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे। भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 521, 1365/521, 1366/521 रकबा क्रमशः 2.26, 0.02, 0.05 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की सीमाओ पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अप्रार्थीगण जारी अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 8 की ओर से वकील श्री शीशुपाल सिंह कुल्हरी ने अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 व 9 बाबजूद तामिल के उपरिथत न्यायालय नही होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 8 पेश नही किया तथा वकील आवेदक एवं वकील अनावेदक ने उपरिथत हो, तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 27.06.2018 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने सहमति प्रदान की गई। उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से दिनांक 27.06.2018 को करवाया गया। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वकील पक्षकारान की सहमति होने तथा न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बुगाला की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 521, 1365/521, 1366/521 रकबा क्रमशः 2.26, 0.02, 0.05 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 27.06.2018 के अनुसार वर्णित भूमि के सीमाओं पर नियमानुसार शुल्क राजकोष जमा करवाये जाकर पत्थरगड्डी करवाये जाने बाबत तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


ए. सी. सुनील कंवर (ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्डुनु